स्वास्थ्य विभाग

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ</th><th>योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ के तहत दी जानी वाली लाभ</th><th>व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता है।</th><th>स्वीकृति प्रदान करने वाले पादाधिकारी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>(क) जननी बाल सुरक्षा योजना</td><td>जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की सारी जाँच और बच्चे की डिलीवरी निशुल्क होती है। जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही प्रसव के उपरांत ग्रामीण क्षेत्र के महिला माँ को 1400 रु एवं शहरी क्षेत्र के महिला माँ को 1000 रु दिया जाता है। इसके तहत आशा कार्यकर्त्ता को ग्रामीण क्षेत्र के लिए 600 रु एवं शहरी क्षेत्र के लिये 400 रु प्रोत्साहन राशी के रूप में दिया जाता है।</td><td>महिला जो अपना चिकित्सा/ प्रसव सरकारी अस्पताल में कराई हो।</td><td>संबंधित चिकित्सा अस्पताल/ अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम</td><td>परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत महिला को बंध्याकरण कराने पर 1400 रु एवं पुरुष को नसबंदी कराने पर 2000 रु प्रोत्साहन राशी के रूप में दिया जाता है। इसके लिये प्रेरित करने वाली प्रेरक को पुरुष को नसबंदी कराने के लिये 500 रु एवं महिला को बंध्याकरण कराने के लिये 300 रु दिया जाता है।</td><td>महिला/पुरुष जो अपना बंध्याकरण/ नसबंदी सरकारी अस्पताल में करायें हो।</td><td>संबंधित चिकित्सा अस्पताल/ अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>(क) महिला बंध्याकरण (क्षतिपूर्ति राशि)</td><td>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा नसबन्दी ऑपरेशन पर मृत्यु एवं अन्य जटिलताए उत्पन्न होने पर क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लि. से नई बीमा पॉलिसी ली है, जो दिनांक 1.12.2006 से प्रभावी है। नई बीमा योजना के अनुसार नसबन्दी ऑपरेशन पर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।
<table>
<tr><td>1.</td><td>नसबन्दी ऑपरेशन से अस्पताल में मृत्यु होने पर या अस्पताल से छुट्टी मिलने के 7 दिन के भीतर मृत्यु होने पर</td><td>2,00,000/- रूपये</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>नसबन्दी ऑपरेशन के उपरांत अस्पताल से छुट्रटी मिलने के 8 से 30 दिन के भीतर मृत्यु होने पर</td><td>50,000/- रूपये</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>नसबन्दी ऑपरेशन के गर्भधारण पर असफल होने से (एक बार ही देय)</td><td>25,000/- रूपये</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>नसबन्दी कराने के 60 दिन के भीतर नसबन्दी ऑपरेशन की वजह से होने वाली जटिलताओं के लिए ईलाज के लिए राशि</td><td>वास्तविक व्यय या अधिकतम 25,000/- रूपये तक</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>इण्डेमिनिटी इंश्योरेंस (Indemnity Insurance) प्रति चिकित्सक</td><td>2,00,000/- रूपये</td></tr>
</table></td><td>महिला जो अपना नसबंदी/ बंध्याकरण सरकारी अस्पताल में करायें हो।</td><td>संबंधित चिकित्सा अस्पताल/ अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक</td></tr>
</table>

	(ख) प्रसवोपरांत बंध्याकरण (क्षतिपूर्ति राशि)	प्रसव होने के बाद ही महिला द्वारा नसबंदी कराने पर 2200 रुपए एवं प्रेरक को प्रति लाभार्थी 300 रुपए दिया जाता है। दिया जाता है ।	महिला जो अपना नसबंदी/ बंध्याकरण प्रसवोपरांत सरकारी अस्पताल में करायें हो।	संबंधित चिकित्सा अस्पताल/ अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक
	(ग) पुरुष नसबंदी (क्षतिपूर्ति राशि)	नसबंदी के लिए पुरुष लाभार्थी को 3000 रुपए एवं प्रेरक को प्रति लाभार्थी 300 रुपए दिया जाता है।	पुरुष जो अपना नसबंदी सरकारी अस्पताल में करायें हो।	संबंधित चिकित्सा अस्पताल/ अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक
3	जन्म प्रमाण-पत्र	जिस बच्चा (लड़की/लड़का) का जन्म सरकारी चिकित्सा अस्पताल/अस्पताल में होता है, उसके इसका लाभ अर्थात जन्म- प्रमाण का निर्गमन सबंधित अस्पताल द्वारा की जाती है।	वह बच्चा (लड़की/लड़का) जिसका जन्म सरकारी चिकित्सा अस्पताल/अस्पताल में हुआ हो।	संबंधित चिकित्सा अस्पताल/ अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक
4	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाण- पत्र	जिस बच्चा (लड़की/लड़का) का जन्म/किसी चिकित्सारत व्यक्ति का मृत्यु सरकारी चिकित्सा अस्पताल/अस्पताल में होता है, तो उसका संधारण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में किया जाता है।	वह बच्चा (लड़की/लड़का) का जन्म/किसी चिकित्सारत व्यक्ति का मृत्यु सरकारी चिकित्सा अस्पताल/अस्पताल में हुआ हो।	संबंधित चिकित्सा अस्पताल/ अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक/ सिविल सर्जन
5	कालाजार रोगी हेतु "मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना" अंतर्गत प्रावधानित राशि का भुगतान,	मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा 16 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीज उनके अटेंडेंट व अस्पताल लाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। कालाजार के बाह्य व अंतर्वासी मरीजों को दो सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तीस दिनों की क्षतिपूर्ति पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, जबकि सिंगल डोज के तहत अटेंडेंट अधिकतम दो दिनों तक अस्पताल में रहते हैं तो उन्हें दो सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चार सौ रुपये एवं आशा कार्यकर्ता को एक सौ रुपये प्रति मरीज के हिसाब से राशि दी जाती है साथ ही मरीज एवं अटेंडेंट को एक- एक सौ का यात्रा भत्ता दिया जाता है।	इसका लाभ कालाजार से पीड़ित मरीज/व्यक्ति को तथा ईलाज कराने हेतु प्रेरित करने वाली प्रेरक को दिया जाता है।	संबंधित चिकित्सा अस्पताल/ अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक/ सिविल सर्जन
6	स्वास्थ्य केन्द्र में दी जाने वाली सुविधाएँ व्यवस्था/आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित मामलें	स्वास्थ्य केन्द्र में दी जाने वाली सुविधाएँ व्यवस्था/आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित मामले यथा किसी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में वहां उपलब्ध सुविधाएँ व्यवस्था/आउटसोर्सिंग व्यवस्था से की मरीज को वंचित रखा जाता है तो इसकी शिकायत वे दर्ज कर सकते है।	इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्राप्त कर सकते है।	संबंधित चिकित्सा अस्पताल/ अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक/ सिविल सर्जन

7	दवा/ चिकित्सक / अन्य कर्मियों की उपलब्धता से संबंधित मामले	किसी सरकारी अस्पताल में अगर किसी व्यक्ति/मरीज को दवा/ चिकित्सक / अन्य कर्मियों की उपलब्धता से संबंधित शिकायत हो तो वे इसकी शिकायत कर सकते है	इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्राप्त कर सकते है।	संबंधित चिकित्सा अस्पताल/ अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक/ सिविल सर्जन
8	विकलांगता प्रमाण पत्र	यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की विकलांगता है और वे अपने लिये प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो उनको अपने जिला अस्पताल (सदर अस्पताल) में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी (CMO) से सम्पर्क करना चाहिये। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विकलांगता के आकलन हेतु उनको एक मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होगा तत्पश्चात विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।	वह व्यक्ति जो विकलांग है एवं अपना विकलांगता प्रमाण-पत्र बनबाना चाहते है	इसका सक्षम लोक प्राधिकार अधीक्षक/ उपाधीक्षक/ सिविल सर्जन होते है।
9	स्वास्थ्य जांच प्रमाण-पत्र (Medical Fitness Certificate)	मेडिकल सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है जो मेडिकल चेकअप या परीक्षण के बाद दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट आमतौर पर किसी व्यक्ति की स्वस्थता से संबंधित जानकारी जैसे उनकी स्वस्थता स्तर, रोगों या बीमारियों के बारे में बताता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो नौकरी या शैक्षिक प्रवेश के लिए आवश्यक होता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार कोई भी डॉक्टर जिसने अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी की है और वह राष्ट्रीय या राज्य के साथ पंजीकृत है, वह मेडिकल सर्टिफिकेट देने योग है।	जो व्यक्ति सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ प्राइवेट या लिमिटेड कंपनी में स्वास्थ्य जांच प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर इसे निर्गत करना चाहते हो, इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।	राज्य के साथ पंजीकृत चिकित्सक / सिविल सर्जन
10	संवेदकों के भुगतान से संबंधित मामले	इसकी लाभ उस संवेदक को दिया जाता है, जो सरकारी नियमानुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र/अस्पताल /कॉलेज का निर्माण/रूपांतरित का कार्य किया हो तथा उसे उसके बदले भुगतान नहीं किया जा रहा हो या किसी प्रकार की अनियमितता बरती जा रही हो।	संवेदक/ठेकेदार या वह व्यक्ति जो आरोपों को उजागर कर रहा हो।	इसका सक्षम लोक प्राधिकार प्राचार्य/अधीक्षक/ उपाधीक्षक/ सिविल सर्जन होते है
11	निजी प्रैक्टिस से संबंधित मामले	जब कोई सरकारी चिकित्सक अपने ड्यूटी कार्यकाल में अन्य जगह किसी प्राईवेट अस्पातल/क्लिनिक/नर्सिंग होम में सेवा प्रदत करते है, जिससे आम लोंगो की समस्या होती है तो इसकी शिकायत प्राय: आम व्यक्ति करते है। साथ ही जब कोई प्राईवेट अस्पातल/क्लिनिक/नर्सिंग होम अनिबंधित हो या अनियमितता पूर्व उसका संचालन कर रहा हो, तो इसकी शिकायत आम व्यक्ति कर सकते है।	आम व्यक्ति	इसका सक्षम लोक प्राधिकार सिविल सर्जन होते है
12	जख्म प्रतिवेदन (Injury Report)	असामयिक घटना, जिसमें क़ानूनी कार्रवाई होना हो, इस प्रक्रम में चिकित्सा हेतु आये मरीज को जख्म प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है।	इसका लाभ वह व्यक्ति प्राप्त कर सकते जो जिन्हें असामयिक कोई घटना घटित हुआ हो , जिसमें क़ानूनी कार्रवाई होना हो.	ड्यूटी पर कार्यरत/उपलब्ध चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/सिविल सर्जन

13	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	असामयिक घटना उपरांत मृत व्यक्ति, जिसमें क़ानूनी कार्रवाई की जानी हो, वैसे को मृत व्यक्ति पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्गत किया जाता है। यह रिपोर्ट प्राय: संबंधित थाना के I.O.या संबंधित सक्षम प्राधिकार को दिया जाता है। विलंब होने के स्थित में इसकी शिकायत मृत व्यक्ति से संबंधित के परिजन या संबंधित प्राधिकार द्वारा किया जाता है।	इसकी शिकायत प्राय: मृत व्यक्ति से संबंधित के परिजन या संबंधित प्राधिकार द्वारा किया जाता है।	ड्यूटी पर कार्यरत/उपलब्ध चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा महाविद्यालय-सह- अस्पताल के फोरेंसिक विभाग के विभागाध्यक्ष
14	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना" अन्तर्गत प्रावधानित राशि का भुगतान	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना" अन्तर्गत प्रावधानित राशि का भुगतान विभिन्न असाध्य व वृहत रोगों के लिये निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग के स्तर से संबंधित सरकारी/CGHS मान्यता प्राप्त संस्थानों को रोगी के उपचार हेतु प्रदत किया जाता है। जिसमें रोगी की पहचान हेतु आवासीय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र (2,50,000 से कम का) मूल प्रति में, संबंधित अस्पताल द्वारा निर्गत प्राक्कलन मूल प्रति में एवं चिकित्सा पुर्जा की आवश्यकता होती है	बिहार राज्याधीन जो व्यक्ति किसी असाध्य व वृहत रोगों से ग्रसित हो।	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना
15	दवा दुकानों की अनुज्ञप्ति से संबंधित परिवाद	दवा दुकानों की अनुज्ञप्ति से संबंधित परिवाद का निष्पादन मुख्यालय स्तर से राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार पटना एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला के सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा किया जाता है। अगर कोई औषधि प्रतिष्टान बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये औषधि का क्रय-विक्रय का कार्य करते है, संबंधित जिला के औषधि निरीक्षक व सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया जाता है।	बिहार राज्याधीन वह व्यक्ति जो औषधि प्रतिष्ठान खोलना चाहते है या बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रतिष्ठान या अनुज्ञप्ति प्राप्त संस्थान द्वारा अनियमितता वरती जाने पर शिकायत करना चाहते है।	राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना / सहायक औषधि नियंत्रक/ औषधि निरीक्षक
16	स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण से संबंधित मामले	उप स्वास्थ्य केंद्र गांव के स्तर पर स्थित स्वास्थ्य चौकियां है । एक उपकेन्द्र लगभग 5000 लोगों को सेवाएं देता है। पहाड़ी, आदिवासी तथा रेगिस्तानी इलाकों में यह आबादी 3000 होती है । प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र (प्रा०स्वा० कें०)(मिनी प्रा०स्वा० कें०, अतरिक्त प्रा०स्वा० कें०, सेक्टर प्रा०स्वा०कें०) 20,000 -30,000 आबादी के लिए एक बनाया जाता है। स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण से संबंधित शिकायत प्राय: वह आम व्यक्ति करते है, जहाँ स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु जमीन संसूचित हो तथा आबादी भी उपर्युक्त हो । स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से संबंधित निर्णय जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष , सचिव तथा सदस्यों द्वारा एक बैठक में लिया जाता है। वर्तमान में इसका निर्माण BMSICL, Patna द्वारा विभागीय अनुमति उपरांत किया जा रहा है।	आच्छादित आम व्यक्ति	सचिव-सह-सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति